कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर म0प्र0

//सीमित निविदा सूचना//

निविदा जारी करने की दिनांक 02.07.2022

न्यायिक स्थापना सागर हेतु वित्त वर्ष 2022–23 में जिला एवं तहसील मुख्यालयों के लिये स्थानीय रजिस्टर्ड फर्मों से 31 नग EPSON ECOTANK MONOCHROME M1170 WI-FI INK TANK प्रिंटर क्रय किया जाना है।

अतः उपरोक्त सामग्री क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 की कंडिका 11.1.2 के पालन में स्थानीय पंजीकृत संस्थाओं/फर्मों से शर्तों के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक संस्थान दिनांक 17.07.2022 के सायं 05:00 बजे तक निविदा बंद लिफाफे में कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर मध्यप्रदेश के नाम से कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा ई–मेल आई.डी. dcourtsag-mp@nic.in के माध्यम से निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त प्रिंटरों के मॉडल के संबंध में, केपेसिटी, वारंटी एवं वस्तु के क्रय मूल्य के साथ जी.एस.टी. का पृथक से उल्लेख निविदा में किया जाना आवश्यक है, साथ ही यदि संभव तो केटलॉग भी निविदा के साथ प्रस्तुत करे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सागर

कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर म0प्र0

//निविदा शर्तें//

क्रं. दो–12–18/21 सागर दि. 02.07.22

1. फर्म वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति तथा आयकर रिटर्न की प्रमाणित छयाप्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जावेगी।

2. सभी प्रकार के करो व क्रय मूल्य का खुलासा तथा सकल योग स्पष्ट रूप से निविदा में किया जावे।

3. क्रय की गई सामग्री की आपूर्ति एवं इंस्टालेशन जिला मुख्यालय सागर में किया जावेगा। जिला मुख्यालय में आपूर्ति किये जाने संबंधी कोई परिवहन व्यय (भाड़ा) नहीं दिया जावेगा।

4. क्रय की गई सामग्री को वारंटी पीरियड सहित तीन साल तक मरम्मत कार्य मौके पर (ऑनसाईट जिला मुख्यालय सागर एवं तहसील न्यायालयों पर) में जाकर संबंधित फर्म द्वारा किया जावेगा।

5. सामग्री इस्टॉलेशन उपरांत ही बिल ग्राह्य किया जावेगा।

6. मांग का आदेश करने से एक सप्ताह के अंदर सामग्री की प्रदायगी व इंस्टॉलेशन सुनिश्चित करना होगा अन्यथा क्रय की सामग्री के लिये मांग का आदेश निरस्त किया जा सकेगा।

7. नियंत्राधिकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उक्त निविदा में विवाद के अंतिम निर्णायक होंगे।

8. प्रशासकीय कारणों से उक्त निविदा किसी भी समय व किसी भी प्रक्रम पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर के आदेश से निरस्त की जा सकेगी।

9. उपरोक्त सामग्री के क्रय की संख्या कम किये जाने अथवा बढाये जाने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर को होगा।

10. क्रय की जाने वाली सामग्री प्रदायगी उपरांत विभागीय क्रय समिति द्वारा निविदा अनुरूप गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक अनुसार पाये जाने पर प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही देयक पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी अन्यथा क्रय की गई सामग्री अमानक पाये जाने पर मूलतः विक्रेता के व्यय पर वापस की जावेगी।

11. जो फर्म मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम में पंजीकृत प्रदायकर्ता के रूप में पंजीकृत हैं, उन्हें पंजीयन संबंधी प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।

संलग्नः– निविदा फार्म।

2-7-22

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सागर

कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर म0प्र0

Phone No. 07582-292995 Email Id:- dcourtsag-mp@nic.in

:: निविदा आवेदन पत्र ::

01	विक्रेता/व्यापरी/निर्माता संस्था का नाम एवं पता	
02	दूरभाष नंबर/मोबाईल नंबर	
03	विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था के मालिक का नाम	
04	विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था का पंजी/जी.एस.टी. क्रमांक	
05	क्या विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था सागर की अधिकृत संस्था है ? यदि हॉ तो विवरण दें।	
06	यदि अधिकृत विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था हो तो प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।	
07	क्या शासन ने विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था को सामग्री प्रदान किये जाने हेतु अयोग्य घोषित किया गया है ? यदि हॉ तो विवरण दें।	
08	विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था का खाता क्रमांक	
09	विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था का बैंक व शाखा का नाम एवं आईएफएससी कोड	

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर